(98)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 84–पीबीआर/2017 विरूद्ध आदेश दिनांक 6–12–2016 पारित द्वारा न्यायालय नजूल अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, राजधानी परियोजना वृत्त भोपाल जिला भोपाल प्र.क. 5/अ–6/2016–17.

.....

1–दिनेन्द्र पाराशर आ0स्व0श्री बंशीधर पाराशर
निवासी ई–5/135, अरेरा कालोनी भोपाल
2–नरेन्द्र पाराशर आ0स्व0श्री बंशीधर पाराशर
निवासी ई–5/135, अरेरा कालोनी भोपाल

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–रमेशचन्द्र पाराशर आ0स्व0श्री मुरलीधर पाराशर
निवासी ई–5/135, अरेरा कालोनी भोपाल
2–महेश पाराशर आ0स्व0श्री मुरलीधर पाराशर
निवासी ग्राम बांईबीड़ी तहसील नसरूल्लागंज
जिला सीहोर म0प्र0
3–सुरेन्द्र पाराशर आ0स्व0श्री बंशीधर पाराशर
निवासी ई.एस.03 महेन्द्र प्लाजा ई–8,एक्सटेशन,
बावड़िया कलां भोपाल
4–श्रीमती निर्मला साकल्ये पत्नी श्री अशोक साकल्ये
पुत्री स्व.श्री बंशीधर पाराशर
निवासी एमआईजी 17–ए श्री रामेश्वरम् एक्सटेंशन
बाग मुंगलिया जिला भोपाल

.....अनावेदकगण

श्री नीरज श्रीवास्तव, अभिभाषक– आवेदकगण
श्री रमेश चन्द्र पाराशर, अभिभाषक– अनावेदक कमांक 1 व 2
श्री अनोज गुप्ता, अभिभाषक–अनावेदक कमांक 4

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 15/6/2018 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत नजूल अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, राजधानी परियोजना वृत्त भोपाल जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–12–2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि नजूल अधिकारी के समक्ष पुनर्विलोकन प्रकरण विचारण रहने के दौरान आवेदक द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता की धारा 10 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन मकान के संबंध में उभयपक्ष के मध्य व्यवहार न्यायालय में वाद लंबित है। अतः नजूल अधिकारी के न्यायालय में प्रचलित कार्यवाही स्थगित कर दी जाये । नजूल अधिकारी द्वारा दिनांक 6–12–2016 को अंतरिम आदेश पारित कर आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है । नजूल अधिकारी के इसी अंतरिम आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ इस प्रकरण में केवल यही बिन्दु विचारणीय है कि क्या नजूल अधिकारी द्वारा आवेदकगण का व्यवहार प्रकिया संहिता की धारा 10 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त करने में अवैधानिक कार्यवाही की गई है अथवा नहीं ? इस संबंध में आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से यह आधार लिया गया है कि किसी भी पक्षकार को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि एक ही वाद अर्थात् निराकरण के प्रश्न को पूर्व से किसी न्यायालय में विचारण रहते हुये दूसरे न्यायालय में पेश कर प्रचलित रख सके । यह भी आधार लिया गया है कि ऐसे मामलों में व्यवहार प्रकिया संहिता की धारा 10 एवं रेसजूडीकेटा का सिद्धांत लागू होता है । लिखित तर्क में यह भी आधार लिया गया है कि उभयपक्ष के मध्य पूर्व से व्यवहार न्यायालय में वाद प्रचलित होने के कारण नजूल अधिकारी को बाद में प्रस्तुत अपने प्रकरण को स्थगित कर देना चाहिये, परन्तु उनके द्वारा आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त करने में अवैधानिक कार्यवाही की गई है । तर्क के समर्थ में 1979 आरएन 135 का न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

4/ प्रतिउत्तर में अनावेदकगण के अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूँकि व्यवहार न्यायालय से किसी प्रकार का कोई स्थगन प्राप्त नहीं है, ऐसी स्थिति में राजस्व न्यायालय द्वारा कार्यवाही स्थगित नहीं की जा सकती है, अतः आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त करने में नजूल अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की कोई अवैधानिक कार्यवाही नहीं की गई है । यह भी कहा गया कि

आवेदकगण की ओर से यह निगरानी मात्र नजूल अधिकारी के समक्ष प्रकरण लंबित रखने के उद्देश्य से की गई है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। नजूल अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि आवेदकगण द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता की धारा 10 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि प्रश्नाधीन मकान के संबंध में उभयपक्ष के मध्य व्यवहार वाद प्रचलित है, इसलिये उनके समक्ष प्रचलित कार्यवाही स्थगित कर दी जाये, परन्तु उनके द्वारा व्यवहार न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः नजूल अधिकारी द्वारा आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । आवेदकगण की ओर से 1979 आरएन 135 का जो न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किया गया है, वह अत्यंत पुराना है । उसके पश्चात् अनेक न्यायदृष्टांत प्रतिपादित हुये हैं कि मात्र व्यवहार न्यायालय में बाद प्रचलित होने से राजस्व न्यायालयों की कार्यवाही स्थगित नहीं की जा सकती है । अतः उक्त न्यायदृष्टांत का लाभ आवेदकगण को प्राप्त नहीं हो सकता है । दर्शित परिस्थितियों में नजूल अधिकारी द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर नजूल अधिकारी, राजधानी परियोजना वृत्त भोपाल जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–12–2016 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर